**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 :1076**

**दिनांक 29 जुलाई, 2015**

**डीबीटीएल की तर्ज पर मिट्टी तेल पर दिए जाने वाली राज सहायता का बैंक खातों में अन्तरण**

1076. डा॰ प्रभाकर कोरेः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटीएल) की तर्ज पर मिट्टी तेल की राज सहायता भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाता में अन्तरित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार प्रायोगिक योजना के रूप में इसे देश के चयनित जिलों में शुरू करने की योजना क्या रही है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसे पूरे देश में कब शुरू किया जाएगा?

**उत्‍तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान)**

(क) से (ग): भारत सरकार राज्‍यों के साथ परामर्श करके प्रायोगिक आधार पर विभिन्‍न राज्‍यों में पहचाने गए जिलों में मिट्टी तेल में सीधा लाभ अंतरण योजना को लागू करना चाहती है। तदनुसार इस मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों के मुख्‍य मंत्रियों/प्रशासकों को पत्र लिखे हैं जिनमें कम्‍प्‍यूटरीकरण और प्रशासनिक सुविधा के स्‍तर को ध्‍यान में रखते हुए 2-3 उपयुक्‍त जिलों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है।

\*\*\*\*